न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 108/2022 **GCMS 2022/216**

प्रार्थीगण

1. बनारसी पत्नी स्व. श्री देवीलाल, उम्र 73 वर्ष
2. मुन्ना पुत्र स्व. श्री देवीलाल, उम्र 34 वर्ष
3. रूकमा पुत्री स्व. श्री देवीलाल, उम्र 37 वर्ष
4. विमला पुत्री स्व. श्री देवीलाल, उम्र ..... वर्ष
   मदन पुत्र स्व. श्री देवीलाल के विधिक वारिसान
5. नोरती पत्नी स्व. मदन, उम्र 33 वर्ष
6. सुनिता पुत्री स्व. मदन, उम्र 12 वर्ष
7. दिनेश पुत्र स्व. मदन, उम्र 10 वर्ष
8. नरेन्द्र पुत्र स्व. मदन, उम्र 9 वर्ष
   प्रार्थी सं. 6 ता 8 नाबालिग जरिए संरक्षक कुदरती वली माता नोरती
   प्रार्थी सं. 1 ता 8 जाति सभी नायक निवासियान कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. केसर देवी पत्नी जेठूराम
2. कालूराम पुत्र जेठूराम
3. मुकेशकुमार पुत्र जेठूराम
4. मन्जू पुत्री जेठूराम
5. मुन्नाराम पुत्र जेठूराम
6. रतनलाल पुत्र जेठूराम
   अप्रार्थी सं. 1 ता 6 जाति सभी नायक निवासियान कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
7. देवाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सफेड़ छोटी तहसील मकराना जिला नागौर, राजस्थान।
8. नेहा पत्नी खेताराम सिसोदिया जाति ढोली निवासी सुरेन्द्र नगर, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
9. पप्पूराम पुत्र दीपाराम जाति नायक निवासी ग्राम छपारा तहसील लाडनूं जिला नागौर, राजस्थान।
10. प्रेम देवी पत्नी रतनलाल जाति नायक निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
11. शंकर लाल पुत्र चुन्नी लाल जाति मेघवाल निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
12. शिमला पत्नी कमलेश जाति खटीक निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

13. सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति नायक निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
14. सुवा पुत्री कानाराम जाति नायक निवासी कड़वा का बांसड़ा, कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
15. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
16. उप पंजीयक कुचामन सिटी।
17. नगर परिषद् कुचामन सिटी जरिए आयुक्त।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थित</u> :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 8, 9 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 14-10-2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पुत्र बिरदा नायक की खातेदारी की भूमि ग्राम पनवाड़ी के गत खसरा नं. 1 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा अवस्थित रही। गत खसरा नं. 1 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में गोपा पुत्र जोरा, भैरू पुत्र बिरदा की खातेदारी रही जिसमें दोनों का हिस्सा बराबर–बराबर था अर्थात् प्रार्थीगण के पूर्वज भैरू पुत्र बिरदा का 1/2 हिस्सा (12 बीघा 6 बिस्वा) अवस्थित रहा तथा 1/2 हिस्सा (12 बीघा 6 बिस्वा) गोपा पुत्र जोरा का अवस्थित रहा। गोपा पुत्र जोरा का सजरा खानदान निम्नवत है :–

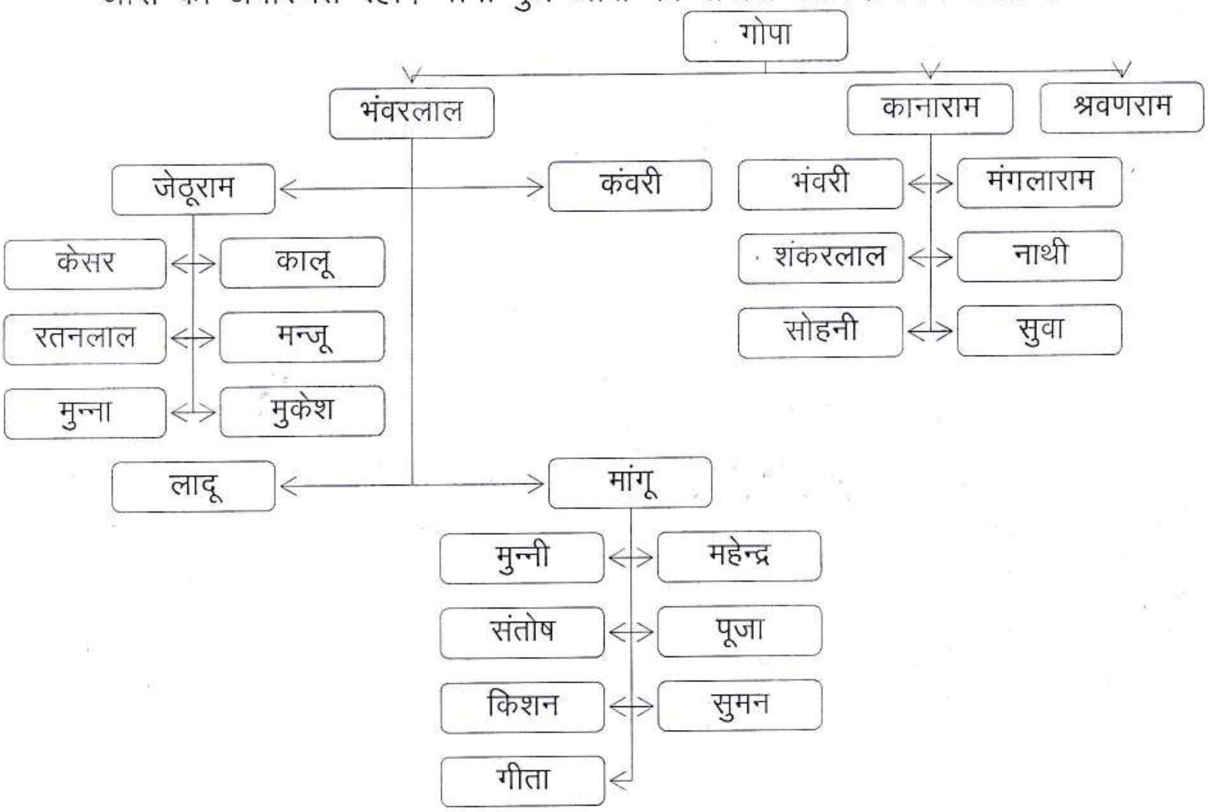

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भैरू पुत्र बिरदा का सजरा खानदान निम्नवत है :–

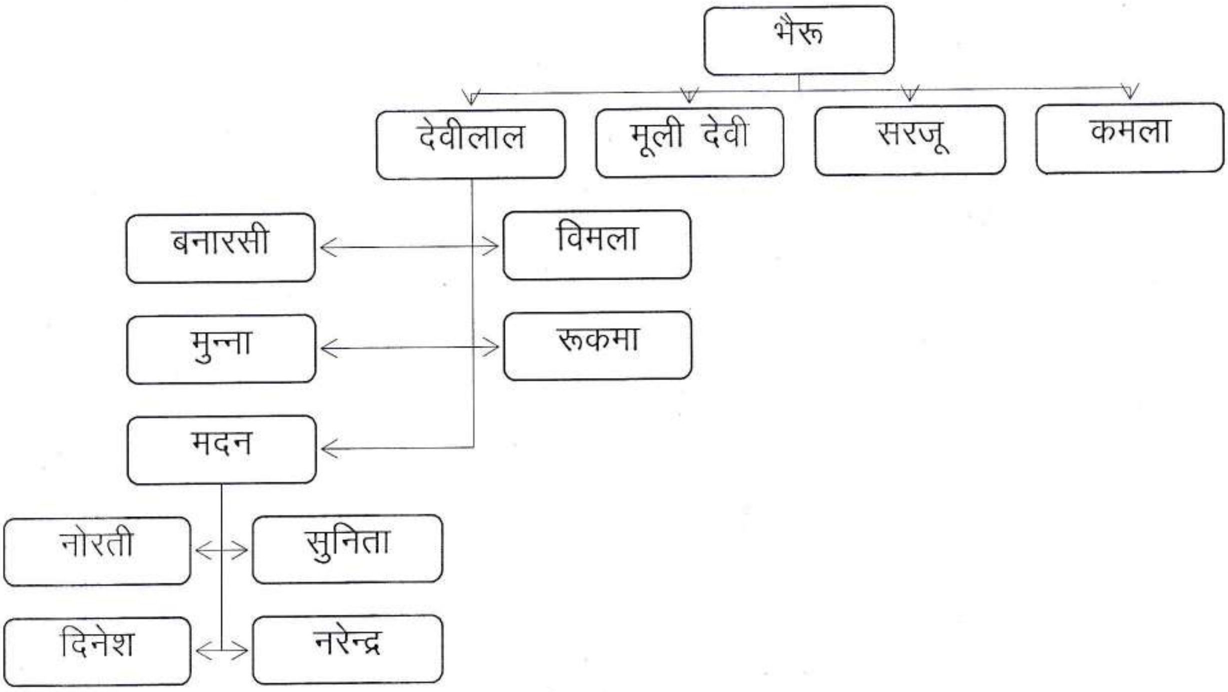

द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नं. 1 के नवीन खसरा नं. 10 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नं. 9 रकबा 2.02 हैक्टर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.98 हैक्टर कायम किये गये। द्वितीय भू–प्रबन्ध में भी मिसल बन्दोबस्त में भंवरलाल, कानाराम, श्रवण कुमार पि. गोपीराम व भैरू पुत्र बिरदा कौम नायक साकिन कुचामन सिटी (कड़वा का बांसड़ा) बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किया गया। यही स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2073 तक सही चलती रही। राज्य सरकार ने Digital India Land Records Modernization Programme के तहत राजस्थान की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया एवं सेग्रीगेशन किया गया। DILRMP के तहत कुचामन तहसील भी ऑन–लाइन की गई तथा खतौनी में खातेदारों के हिस्से अनुसार सेग्रीगेशन किया गया। सेग्रीगेशन की कार्यवाही में ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 9, 10 में सेग्रीगेशन करते समय सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति बलाई हिस्सा 11/24, सुवा पुत्री काना जाति नायक हिस्सा 1/24, भंवरलाल पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/4, देवीलाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1/8, मूली पत्नी भैरूराम हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड में गलती से अंकित कर दिये गये। सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार ने गोपी के पुत्र श्रवण व कानाराम पुत्र गोपी के पांच वारिसान भंवरी, मंगलाराम, शंकरलाल, नाथी, सोहनी के हिस्से खरीद किये जो सेग्रीगेशन की कार्यवाही से पूर्व खरीद किये गये थे। सजरा खानदान के हिसाब से सरिता पत्नी सुरेन्द्र का हिस्सा 11/36 बनता है तथा सुवा जो कि कानाराम की पुत्री है उसका हिस्सा 1/36 बनता है। भंवरलाल, गोपीराम का पुत्र है इसलिए उसका हिस्सा 1/6 बनता है एवं देवीलाल, भैरूराम का पुत्र है इसलिए उसका हिस्सा 1/4 बनता है तथा मूली देवी, भैरूराम की पत्नी इसलिए उसका हिस्सा 1/4 बनता है, परन्तु हल्का पटवारी ने सेग्रीगेशन करते समय गलती से सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति बलाई हिस्सा 11/24, सुवा पुत्री काना जाति नायक हिस्सा 1/24, भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/4, देवीलाल पुत्र भैरूराम हिस्सा 1/8, मूली पत्नी भैरूराम हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया जो मात्र एक गणितीय त्रुटि है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। कानाराम पुत्र गोपा के वारिसान भंवरी, मंगला, शंकरलाल, नाथी, सोहनी व श्रवणराम पुत्र गोपा ने अपना हिस्सा जरिए पंजीकृत बेचान सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार को बेचान कर दिया एवं सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार ने वर्तमान खातेदार देवाराम पुत्र तिलोकाराम को जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30/09/2019 के 0.6875 हैक्टर भूमि बेचान कर दी जिसका नामान्तरकरण सं. 654 दर्ज किया गया तथा श्रीमती सरीता पत्नी सुरेन्द्र कुमार ने जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30/09/2019 को पप्पूराम पुत्र दीपाराम को भूमि रकबा 0.5286 हैक्टर का बेचान किया जिसका नामान्तरकरण सं. 653 दर्ज किया गया। इसी प्रकार लादूराम पुत्र भंवरलाल से अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिए पंजीकृत बेचान दिनांक 30/09/2021 को व भंवरलाल के पुत्र मांगू के वारिसान श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी मांगूराम, महेन्द्र पुत्र मांगूराम, संतोष, पूजा, गीता, सुमन पुत्रियां स्व. मांगूराम ने अपना सम्पूर्ण हक–हिस्सा जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 11/10/2021 के नेहा पत्नी खेताराम को बेचान कर दिया जिनके नामान्तरकरण संख्या 729 व 722 दर्ज किये गये। प्रेम देवी पत्नी रतनलाल द्वारा कंवरी देवी पुत्री भंवरलाल से उसका सम्पूर्ण हक–हिस्से जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 21/09/2021 को खरीद किया गया जिसका नामान्तरकरण सं. 718 दर्ज किया गया। शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल द्वारा कमला पुत्री भैरूराम, सरजू पुत्री भैरूराम का हक–हिस्सा जरिए पंजीकृत बेचान दिनांक 25/08/2021 को खरीद किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 713 दर्ज किया गया। सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल द्वारा बनारसी पत्नी देवीलाल, मदन, मुन्ना पुत्रान देवीलाल का हक–हिस्सा जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13/03/2020 को खरीद किया गया जिसका नामान्तरकरण सं. 675 दर्ज किया गया। सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल द्वारा जरिए पंजीकृत बेचान दिनांक 08/08/2021 को अपने हक–हिस्से में से भूमि रकबा 0.3316 का बेचान शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल को किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 711 भरा गया। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में की गई त्रुटि के आधार पर आगामी बेचान खातेदारों द्वारा करने से खतौनी की स्थिति में बदलाव आया है जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से दर्ज हिस्सा	शुद्धि के उपरांत हिस्सा	हिस्सा ज्यादा है जो कम करना है
1.	केसर देवी पत्नी जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
2.	कालूराम पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
3.	मुकेशकुमार पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
4.	मन्जू पुत्री जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
5.	मुन्नाराम पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
6.	रतनलाल पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

7.	प्रेम देवी पत्नी रतनलाल	1/16 = 0.24875 है.	1/24 = 0.16583 है.	0.0829 है.
8.	सुवा पुत्री कानाराम	1/24 = 0.1658 है.	1/36 = 0.1105 है.	0.0553 है.
9.	नेहा पत्नी खेताराम	1/8 = 0.4975 है.	1/12 = 0.3316 है.	0.1659 है.
10.	पप्पूराम पुत्र दीपाराम	11367/39800 = 1.1367 है.	5286/39800 = 0.5286 है.	0.6084 है.
11.	देवाराम पुत्र तिलोकराम	2578/14925 = 0.6875 है.	2578/14925 = 0.6875 है.	0
12.	सुरेशकुमार पुत्र भंवरलाल	61/29850 = 0.0081 है.	61/29850 = 0.0081 है.	0
13.	शिमला पत्नी कमलेश	809/9950 = 0.3236 है.	809/9950 = 0.3236 है.	0
14.	शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल	9949/59700 = 0.6663 है.	9949/59700 = 0.6663 है.	0

प्रार्थी सं. 1 ता 8 उपरोक्त वर्णित सारणी अनुसार अपने हक–हिस्से पर काबिज हैं, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ता 14 राजस्व रिकॉर्ड में हुए गलत इन्द्राज का दुरुपयोग करते हुए उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि का अपने हक–हिस्से से अधिक का बेचान करने पर उतारू हैं तथा अप्रार्थी सं. 17 बिना मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की जांच किये उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को धारा 90 ए राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपनी मनमर्जी से कृषि भूमि से अकृषि भूमि में रूपान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने मंसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असम्भव होगा। प्रार्थीगण उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में सेग्रीगेशन के दौरान बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा दिये गये हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नं. 9, 10 कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.98 हैक्टर में 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.9954 हैक्टर उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज फरमाये जाने का आदेश करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7, 11, 12 के अधिवक्ता ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, जिससे उनका जवाब अवसर बन्द किया गया, अप्रार्थी सं. 8, 9 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत, अप्रार्थी सं. 17 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की ओर से फार्म सं.3 के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सं. 8 एवं 9 ने इकबाली जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार का उज्र एतराज या आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए सारणी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने का कथन किया है। नकल खतौनी सम्वत 2012–2015 ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 1 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में गोपा पुत्र जोरा भैरू पुत्र बिरदा कौम नायक सा. बासड़ा कुचामन ब.हि.ब.खातेदार दर्ज है,उक्त प्रविष्टि सम्वत 2016–2019, 2020–2023, 2024–207, 2028–2031, 2031–2034, में दर्ज है,सम्वत 2035–2038 में भंवरलाल कानाराम श्रवण पि. गोपीराम भैरू पुत्र बिरदा कौम नायक कुचामन कड़वा का बांसड़ा ब.हि.ब.खातेदार अंकित है, मिलान क्षेत्रफल नकल अनुसार पनवाड़ी के गत खसरा नम्बर 1 के नये खसरा नम्बर 9 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 1.96 हैक्टर अंकित हुये, जमाबंदी नकल सम्वत <u>2046–2049</u> ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 1.96 हैक्टर में भंवरलाल कानाराम श्रवण कुमार पि. गोपीराम भैरूराम पुत्र बिड़दाराम कौम नायक सा. कुचामन (कड़वा का बांसड़ा) ब. हि.ब. खातेदार दर्ज है, जमाबंदी नकल सम्वत <u>2052–2055</u> ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 1.96 हैक्टर में भंवरलाल कानाराम श्रवण कुमार पि. गोपीराम भैरूराम पुत्र बिड़दाराम कौम नायक सा. कुचामन (कड़वा का बांसड़ा) ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है नामा. सं.112 दिनाक 10.09.99 के अनुसार भैरूराम पुत्र बिड़दाराम के स्थान पर देवीलाल पुत्र भैरूराम मूली देवी बैवा भैरूराम का नाम दर्ज किया गया, नकल खतौनी सम्वत <u>2060–2063</u> में पनवाड़ी के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 1.96 हैक्टर में भंवरलाल कानाराम श्रवण कुमार पि. गोपीराम देवीलाल पुत्र भैरूराम मूली देवी बैवा भैरूराम नायक सा. कुचामन (कड़वा का बांसड़ा) ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है नामा. सं. 168 दिनॉक 06.03.06 के द्वारा कानाराम पुत्र गोपीराम के फौत होने पर उसके स्थान पर भंवरीदेवी बैवा कानाराम मंगलाराम शंकरलाल पि. कानाराम नाथी सोहनी सुवा पुत्रीया कानाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई, बेचान दस्तावेज 11.10.2021 अनुसार मुन्नीदेवी पत्नी मांगूराम महेन्द्र पुत्र स्व. मांगूराम सन्तोष पूजा गीता सुमन पुत्रिया मांगूराम नायक कुचामन द्वारा बेचान करने पर श्रीमती नेहा पत्नी खेताराम सिसोदिया जाति ढ़ोली निवासी कुचामन के नाम किया गया जिसका नामा. सं. 722 दर्ज हुआ, समय–समय पर खातेदारान की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज होती रही, इसी प्रकार बेचान होने के पश्चात नये खातेदारान जुड़ते रहे परन्तु भैरू पुत्र बिरदा के नाम दर्ज भूमि में अंकित 1/2 हिस्सा के स्थान पर गलत रूप से हिस्सा दर्ज किया गया, जबकि भैरू पुत्र बिरदा शुरू से ही 1/2 का खातेदार दर्ज चला आया है, भैरूराम पुत्र बिरदा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान देवीलाल पुत्र भैरूराम मूलीदेवी पत्नी भैरूराम सरजू कमला पुत्रिया भैरूराम के नाम दर्ज हुआ, देवीलाल की मृत्यु पश्चात उसके वारिसान बनारसी विमला मुन्ना रूकमा मदन के नाम भूमि दर्ज हुई, मदन पुत्र देवीलाल की मृत्यु होने पर नोरती सुनिता दिनेश नरेन्द्र वारिस हुये, मूली देवी की मृत्यु होने पर उसके शेष वारिसान के नाम भूमि दर्ज हुई, इसी दौरान संबंधित खातेदारान द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेचान किये गये जिनके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होते रहे।

गोपा पुत्र जोरा का गत खसरा नम्बर 1 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हिस्सा रहा, उसकी मृत्यु पश्चात वारिस भंवरलाल 1/6 कानाराम1/6 श्रवणराम 1/6 हिस्से दर्ज होने चाहिए थे तथा श्रवणराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सरिता को किया गया, तथा भंवरलाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान जेठूराम 1/24, भंवरी 1/24, लादू 1/24, मांगू के 1/24 दर्ज होने चाहिए थे तथा जेठूराम एवं मांगू की मृत्यु होने पर उसके वारिसान केसर कालू रतनलाल मुन्ना मन्जू मुकेश के 1/144 हक हिस्से दर्ज होने चाहिए थे, जबकि सेग्रिगेशन के समय 1/112 दर्ज किये गये, जिससे अधिक भूमि का बेचान हुआ तथा पूर्व में मांगू के वारिसान द्वारा भी हिस्सा नेहा पत्नी खेताराम जाति ढ़ोली को अधिक बेचान किया गया, कंवरी पुत्री भंवरलाल द्वारा अपना हक हिस्सा प्रेमदेवी को अधिक हिस्सा बेचान किया गया, इसी प्रकार कानाराम के वारिसान भंवरी मंगलाराम शंकरलाल नाथी सोहनी द्वारा सरिता पत्नी सुरेन्द्र कुमार को हक हिस्सा बेचान किया गया, सुवा पुत्री काना के 1/36 हक हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जिसके सेग्रिगेशन के दौरान 1/24 दर्ज कर दिया गया जो गलत है। इस प्रकार सेग्रिगेशन में गलत रूप से दर्ज हुये हिस्से को उपरोक्त सारणी अनुसार न्यायहित में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। मूली देवी पत्नी भैरूराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान देवीलाल, सरजू कमला के नाम भूमि दर्ज हुई तथा वर्तमान में केवल मात्र देवीलाल के वारिसान ही उपरोक्त भूमि में से अपना हक हिस्सा रखते है। अतः निम्न सारणी अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकर किया जाता है

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 9 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 10 रकबा 1.96 हैक्टर कुल रकबा 3.98 हैक्टर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक हिस्से शुद्व किये जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से दर्ज हिस्सा	शुद्धि के उपरांत हिस्सा	हिस्सा ज्यादा है जो कम करना है
1.	केसर देवी पत्नी जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
2.	कालूराम पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
3.	मुकेशकुमार पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
4.	मन्जू पुत्री जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
5.	मुन्नाराम पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
6.	रतनलाल पुत्र जेठूराम	1/96 = 0.04195 है.	1/144 = 0.02763 है.	0.01382 है.
7.	प्रेम देवी पत्नी रतनलाल	1/16 = 0.24875 है.	1/24 = 0.16583 है.	0.0829 है.
8.	सुवा पुत्री कानाराम	1/24 = 0.1658 है.	1/36 = 0.1105 है.	0.0553 है.
9.	नेहा पत्नी खेताराम	1/8 = 0.4975 है.	1/12 = 0.3316 है.	0.1659 है.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

10.	पप्पूराम पुत्र दीपाराम	11367/39800 = 1.1367 है.	5286/39800 = 0.5286 है.	0.6084 है.
11.	देवाराम पुत्र तिलोकराम	2578/14925 = 0.6875 है.	2578/14925 = 0.6875 है.	0
12.	सुरेशकुमार पुत्र भंवरलाल	61/29850 = 0.0081 है.	61/29850 = 0.0081 है.	0
13.	शिमला पत्नी कमलेश	809/9950 = 0.3236 है.	809/9950 = 0.3236 है.	0
14.	शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल	9949/59700 = 0.6663 है.	9949/59700 = 0.6663 है.	0
कुल दुरूस्ति योग्य रकबा जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना है				0.99542

ग्राम पनवाडी के खसरा नम्बर 9 एवं 10 में से 0.99542 हैक्टर निम्न प्रकार दर्ज किया जाना है :–

क्रम संख्या	प्रार्थी जिसे खातेदार अंकित किया जाना है	रकबा
1.	बनारसी पत्नी देवीलाल	0.199084 हैक्टर
2.	मुन्ना पुत्र देवीलाल	0.199084 हैक्टर
3.	रूकमा पुत्री देवीलाल	0.199084 हैक्टर
4.	विमला पुत्री देवीलाल	0.199084 हैक्टर
5.	नोरती पत्नी मदन, सुनिता पुत्री मदन, दिनेश पुत्र मदन, नरेनद्र पुत्र मदन ब.हि.ब.	0.199084 हैक्टर
	कुल रकबा	0.99542

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार आदेश दिये जाते है । तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 14.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व–कोर्ट / 2022 / 295 दिनॉकः– 13/10/2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण प्रार्थना–पत्र सं. 108 / 2022 **GCMS 2022/216** बनारसी नायक बनाम केसरदेवी नायक वगैरह में आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण प्रार्थना–पत्र सं. 108 / 2022 **GCMS 2022/216** बनारसी नायक बनाम केसरदेवी नायक वगैरह में आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक आदेश राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)